



दौंड नगरपरिषद, दौंड जि.पुणे

दि.-०३/०६/२०२४

महाराष्ट्र नगर परिषदा, नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम, १९६५ कलम १५० बंतर्गत (नमुना ४८ नियम ७७)

१ एप्रिल २०२४ ते ३१ मार्च २०२५ या वर्षाकीरीता

कराचे बिल (पोचापावती)

वार्ड क्र: ६ मालमत्ता क्र: ३८६९ भाग क्र:

जुना वार्ड क्र: ६ जुना मालमत्ता क्र: २४७९



मालमत्ता धारक: श्री/श्रीमती/में: धारक पवार . बिल्डर्स

मालमत्ते वर्णन: अपार्टमेन्ट

बिल क्र. DND13578

भोगवटदाराचे नाव: जयवंत मस्के

पत्ता: भवानी नगर, दौंड

भाडेकरूचे नाव: :

संगणक क्र.: NEW

दुकान / इमारतीचे नाव: ७ -विश्वानंद अपार्टमेंट

| राचे विवरा | संकलित कर रु | वृक्ष कर रु | अग्रिशमन कर रु | वि. स्वच्छता कर रु | शिक्षण उपकर रु | रो. ह. उपकर रु | उपयोगकर्ता शुल्क रु | शास्ती दि. ३१/०५/२०२४ पर्यंत | बनाधिकृत बांधकामावरिल रु | दुकानगाळा आडे रु | एकूण कर रु |
|-----------------|--------------|-------------|----------------|--------------------|----------------|----------------|---------------------|------------------------------|--------------------------|------------------|------------|
| पक्षीत मागणी रु | १५३७ | ६४ | ३१ | ३१ | ४२७ | | ३६० | २४५ | | | २६९५ |
| चालु मागणी रु | १५३७ | ६४ | ३१ | ३१ | ४२७ | | ३७८ | | | | २४६८ |
| एकूण मागणी रु | ३०७४ | १२८ | ६२ | ६२ | ८५४ | | ७३८ | २४५ | | | ५१६३ |

मालमत्ता धारकाची किंवा पावती वेणाऱ्याची सही

दौंड नगरपरिषद, दौंड जि.पुणे

दि.-०३/०६/२०२४



महाराष्ट्र नगर परिषदा, नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम, १९६५ कलम १५० बंतर्गत (नमुना ४८ नियम ७७)

१ एप्रिल २०२४ ते ३१ मार्च २०२५ या वर्षाकीरीता

कराचे बिल

वार्ड क्र: ६ मालमत्ता क्र: ३८६९ भाग क्र:

जुना वार्ड क्र: ६

जुना मालमत्ता क्र: २४७९



मालमत्ता धारक: श्री/श्रीमती/में: धारक पवार . बिल्डर्स

जुना मालमत्ता क्र: २४७९

भोगवटदाराचे नाव: जयवंत मस्के

मालमत्ते वर्णन: अपार्टमेन्ट

बिल क्र.

DND13578

भाडेकरूचे नाव: :

पत्ता: भवानी नगर, दौंड

दुकान / इमारतीचे नाव: ७ -विश्वानंद अपार्टमेंट

संगणक क्र.: NEW

(१) महाराष्ट्र नगर परिषदा नगर पंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम, १९६५ नुसार नगर परिषदेचा कर आर्थिक वर्षाच्या सुलवातीला अर्थात १ एप्रिल रोजी देय होतो. (२) महाराष्ट्र नगर परिषदा, नगर पंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम, १९६५ कलम १५०(३) अन्वये बिल दिल्यापासून १५ दिवांगांचे आवाह विवातील संपूर्ण रकमचा भरणा केल्यास संकलित करात १ दिवा सवलत मिळेल. (३) महाराष्ट्र नगर परिषदा, नगर पंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम १९६५ मध्यील (राजपत्र दि. २७/०४/२०१० अमाधारण भाग ४) मधिल सुधारीत कलम १५० अ (१) कमेचा पुरी भरणा करेपर्यंत प्रतिमाह २% शास्ती भरावी लागेल व चालु मागणीतील पाहिली अर्धवार्षिक रक्कम दि. ३०/०९/२०२४ पर्यंत भरणा करण्यात यावी. त्यानंतर रक्कम भरेपर्यंत २% गास्ती लागेल व चालु मागणीतील दुसरी अर्धवार्षिक रक्कम दि. ३१/१२/२०२४ पर्यंत भरणा करण्यात यावी अन्यथा त्यानंतर रक्कम भरेपर्यंत २% प्रतिमाह शास्ती भरावी लागेल. (४) रक्कम न भरल्यास कलम १५० अ (१) अन्वये एकूण थक्कीत रकमेच्या प्रतीमाह २% प्रमाणे शास्ती आकारायात येईल. व कर रक्कम देऊमाह भरणा करणे वेळनकारक राहील. (५) विहीत मुदतीच्या कालवधीत कराचा भरणा केला नाही किंवा (अ) पुरी कराचा भरणा शास्ती ची रक्कम, आज, की व इतर वार्षी रक्कम विहीत मुदतीत भरली नाही किंवा (ब) कलम १५० अ (१) तरतुदीनुवार अशा विलाविशेष अविल अपिल केली नाही, तर अशी रक्कम व तो वसुल करण्याचा सर्व खर्च कलम १५२ अन्वये मुख्याधिकारी यांच्या सही वाँट (अधिपत्र) मालमत्ते अंत आपली स्थावर मालमत्ता ताप्यात घेता येईल. (६) जस केलेल्या स्थावर मालमत्तेवात आपली झोपांत आपली स्थावर मालमत्ता ताप्यात घेता येईल. (७) सदर देवक ३१/०५/२०२४ पर्यंत वे वसुली नोंदीस आधिन राहुन लागु करण्यात घेत आहेत.

सन २०२४-२५ करीता मागणी

| कराचे विवरण | थकीत मागणी रु | चालु मागणी | | चालु वसुली (असल्यास) | सन २०२३-२४ ची एकूण देय मागणी रु |
|---|---------------|----------------------------|----------------------------|----------------------|---------------------------------|
| | | प्रथम अर्धवार्षिक मागणी रु | दुसरी अर्धवार्षिक मागणी रु | | |
| संकलित कर रु | १५३७ | ७६९ | ७६८ | | ३०७४ |
| वृक्ष कर रु | ६४ | ३२ | ३२ | | १२८ |
| अग्रिशमन कर रु | ३१ | १६ | १५ | | ६२ |
| वि. स्वच्छता कर रु | ३१ | १६ | १५ | | ६२ |
| शिक्षण कर रु | ४२७ | २१४ | २१३ | | ८५४ |
| रो. ह. उपकर रु | | | | | |
| उपयोगकर्ता शुल्क | ३६० | १८९ | १८९ | | ७३८ |
| शास्ती दि. ३१/०५/२०२४ पर्यंत | २४५ | | | | २४५ |
| दुकान गाळा भाडे रु | | | | | |
| अनधिकृत बांधकामावरिल दंडात्मक संकलित कर | | | | | |
| एकूण कर रु | २६९५ | १२३६ | १२३२ | | ५१६३ |

महाराष्ट्र नगर परिषदा, नगर पंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम १९६५ चे कलम १५० अ (१) अन्वये या तारखेनंतर शास्तीसहीत भरावयाची रक्कम.

| विवरण | जून-२४ | जुलै-२४ | ऑग-२४ | सप्टें-२४ | ऑक्टो-२४ | नोव्हे-२४ | डिसे-२४ | जाने-२५ | फेब्रु-२५ | मार्च-२५ |
|----------------------------|--------|---------|-------|-----------|----------|-----------|---------|---------|-----------|----------|
| थकीत देय रक्कम रु | २६९५ | २७४४ | २७९३ | २८४२ | २८९१ | २९४० | २९८१ | ३०३८ | ३०८७ | ३१३६ |
| पहिली अर्धवार्षिक मागणी रु | १२३६ | १२३६ | १२३६ | १२३६ | १२६१ | १२८५ | १३१० | २५६७ | २६१७ | २६६५ |
| दुसरी अर्धवार्षिक मागणी रु | १२३२ | १२३२ | १२३२ | १२३२ | १२३२ | १२३२ | १२३२ | ५५३१ | ५६०५ | ५८०१ |
| एकूण देय रक्कम रु | ५१६३ | ५२१२ | ५२६१ | ५३०० | ५३८४ | ५४५७ | ५५३१ | ५६०५ | ५७०४ | ५८०१ |
| झाडे लावा, | | | | | | | | | | |
| झाडे जगवा | | | | | | | | | | |



स्वच्छ दौंड
संदर दौंड



कर विभाग प्रमुख

मुख्याधिकारी

दौंड नगरपरिषद, दौंड जि.पुणे